



महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की दिनांक 12 जुलाई 2022, पूर्वाह्न 11:30 बजे आहुत होने वाली वित्त समिति की प्रथम (01/2022) बैठक की

कार्य सूची

मद संख्या 1: वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव एवं बजट पारित कराए जाने के सम्बन्ध में—

वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक तथा वित्त वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित/अनुमानित बजट की प्रतियाँ संलग्न है। वित्त समिति से अनुरोध है कि कृपया प्रस्तावित बजट पारित करने हेतु विचार करना चाहें।

मद संख्या 2: नवस्थापित विश्वविद्यालय में शासन से गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत /नियुक्ति होने तक परीक्षा, मूल्यांकन, प्रवेश, आदि जैसे अति आवश्यक कार्य कराये जाने के लिए कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2022 के मद सं0 05 के अनुपालन में रखे जाने वाले अधिकतम 15 तक कुशल तथा अकुशल मजदूरों के पारिश्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में—

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2022 के कार्यवृत्त के मद सं0 05 के निर्णय के अनुसार अधिकतम 15 कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान शासनादेश में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुमोदन हेतु वित्त समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या 3: प्रवेश एवं परीक्षा इत्यादि से सम्बन्धित मदों में लिए जाने वाले शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में—

सूच्य है कि उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 1446/79-वि.-1-19-1(क)-3-19, दिनांक 05/08/2019 यह निर्देशित किया गया है कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली एवं अध्यादेशों के निर्मित एवं



महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की दिनांक 12 जुलाई 2022, पूर्वाह्न 11:30 बजे आहुत होने वाली वित्त समिति की प्रथम (01/2022) बैठक की

कार्य सूची

मद संख्या 1: वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव एवं बजट पारित कराए जाने के सम्बंध में—

वित्त वर्ष 2021-22 का वास्तविक तथा वित्त वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित/अनुमानित बजट की प्रतियाँ संलग्न है। वित्त समिति से अनुरोध है कि कृपया प्रस्तावित बजट पारित करने हेतु विचार करना चाहें।

मद संख्या 2: नवस्थापित विश्वविद्यालय में शासन से गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत /नियुक्ति होने तक परीक्षा, मूल्यांकन, प्रवेश, आदि जैसे अति आवश्यक कार्य कराये जाने के लिए कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2022 के मद सं0 05 के अनुपालन में रखे जाने वाले अधिकतम 15 तक कुशल तथा अकुशल मजदूरों के पारिश्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में—
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2022 के कार्यवृत्त के मद सं0 05 के निर्णय के अनुसार अधिकतम 15 कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान शासनादेश में उल्लिखित दरों के अनुसार अनुमोदन हेतु वित्त समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या 3: प्रवेश एवं परीक्षा इत्यादि से सम्बन्धित मदों में लिए जाने वाले शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में—

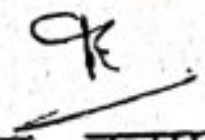
सूच्य है कि उ0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 1446/79-वि.-1-19-1(क)-3-19, दिनांक 05/08/2019 यह निर्देशित किया गया है कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली एवं अध्यादेशों के निर्मित एवं



महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

लागू होने तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में वर्तमान में प्रचलित प्रथम परिनियमावली एवं अध्यादेशों के प्राविधान ही लागू होंगे।
अतः वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में आजमगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना से ठीक पूर्व लागू शुल्क ही लागू होंगे। कृपया समिति विचार कर अनुमोदन देना चाहे।

मद संख्या 4: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से—


(विजय कुमार सिंह)
वित्त अधिकारी
म0सु0दे0रा0वि0, आजमगढ़